PMGSY कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone – fax 05965-230148
E-Mail; eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक 867/03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनाँक 12/09/2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— *जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा प्रस्तावित धौन रोड से बडोली मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि विषयगत मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में सिविल वनभूमि का चयन किया गया था, किन्तु चयनित भूमि में एम0डी0एफ0 एवं वी0डी0एफ0 की आपत्तियां लगाई गयी थी तथा चयनित भूमि कई टुकड़ों में थी, चूंकि विषयगत मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत एक लिंक मोटर मार्ग है।

अतः आपके पत्रांक 1646/1 जी–2366, दिनांक 16 नवम्बर 2017 में वर्णित बिन्दुओं के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वनभूमि का चयन किया गया।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,(लो0नि0वि0)चम्पावत।

Scanned by CamScanner

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल ...
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
पत्रांक- 1646 /1जी–PMGSY देहरादून दिनांक 16 नवम्बर, 2017

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः–पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मोटर मार्गों में पड़ने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु Degraded Forest Land लेने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, सहत्रधारा रोड, देहरादून का पत्रांक 1606/वन भूमि/यू0आर0आर0डी0ए0/2017 दिनांक 02–11–2017 (प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, सहत्रधारा रोड, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु degraded forest land लिंक मोटर मार्गो के सम्बन्ध में भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 मार्गदर्शिका हस्तपुस्तिका के भाग–3 प्रस्तर 3.2 (vi) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार की मार्गदर्शिका के भाग–3 प्रस्तर 3.2 (vi) में उक्त के सम्बन्ध में निम्न प्रकार व्यवस्था दी गयी है :– (प्रति संलग्न)

As an exception to 3.2 (i) above, compensatory afforestation may be raised over degraded forest land twice in extent of the forest area being diverted/dereserved in respect of following types of proposals:

(b) For construction of link roads, small water works, minor irrigation works, school building, dispensaries, hospital, tiny rural industrial sheds of the Government or any other similar work excluding mining and encroachment cases, which directly benefit the people of the area- in hill districts and in other districts having forest area exceeding 50% of the total geographical area, provided diversion of forest area does not exceed 20 hectares.

अतः यू0आर0आर0डी0ए0 के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र एवं भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 मार्गदर्शिका हस्तपुस्तिका के भाग–3 प्रस्तर 3.2 (vi) में दी गयी व्यवस्था की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त मार्गों में तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्याः 1646 /1जी–2366 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, राजपुर रोड, देहरादून।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, सहत्रधारा रोड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में।

Scanned by CamScanner